न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

सीलिंग प्रकरण संख्या — 160 / 2006

जी.सी.एम.एस नम्बर —2006 / 00011

सालय / प्रार्थी	बनाम	गैर सायलान / अप्रार्थीगण
सरकार		1. रामरतनदास चेला प्रेमदास सोजत 2. भगवान श्री नृसिंह जी महाराज सोजत

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान राजकिय अभिभाषक सरकार की तरफ सें।

राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973

—:निर्णयः— दिनांक : 29/09/2021

1. यह सीलिंग प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी सोजत ने उनके सीलिंग प्रकरण सं. 198 / 71 में निर्णय दिनांक 16.08.71 में अप्रार्थी की 426 बीघा 13 बिस्वा भूमि सीलिंग से कम मानते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिया। तदुपरान्त राजस्व सीलिंग विभाग जयपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक / प.7 / 966 / राज. / सी. / 76 आदेश दिनांक 01.10.1981 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सोजत के निर्णय दिनांक 16.08.71 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अध्याय 3—ख के अनुसार नही मानकर राज्यहित के प्रतिकुल मानकर राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकत जोत सीमा अधिरोपण, 1973 की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अति.जिला कलक्टर पाली को प्राधिकृत की कर प्रकरण रि—ओपन कर अप्रार्थीगण को सुनवाई के लिए नोटिस देकर, विस्तृत जांच के उपरान्त, कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में श्रीमान् अति.जिलाधीश पाली ने अपने न्यायालय में प्रकरण 58 / 89 दर्ज कर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु इतला नोटिस दिया गया। तदुरान्त श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के आदेश क्रमांक / कोर्ट / 94 / 782 दिनांक 25.08.1994 के अनुसरण में पत्रावली अति.जिला कलेक्टर पाली के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई। प्रकरण न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबधित पक्षकार को इतला नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार सोजत से भूमि का विवरण प्राप्त किया गया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। संवत 2012 से 2015 में खाता संख्या 418 में उक्त जमीन खसरा नं. 1573, 1576 व 562 कुल खसरा 3 कुल रकबा 125 बीघा 04 बिस्वा भूमि में मंदिर श्री नृसिंह भगवान द्वारा पुजारी पिरागदास का नाम था तथा खाता संख्या 419 में खसरा सं. 1580, 1581, 1581 / 1,

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

1581/2, 1581/3, 1581/4, 1581/5, 1581/6, 1581/7, 1581/8, 1581/9, 1581/10, 1881/10/1, 1581/11, 1581/12, 1581/13, 1581/14, 1581/15, 1581/16, 1581/17, कुल खसरा 20 कुल रकबा 426 बीघा 13 बिस्वा भूमि मंदिर बनाम मजरूदीन रहीम झूमरलाल तथा फाउलाल मुर्तदीन बरस कटोदार सं. 1992 से 2015 तक 24 साल दर्ज थी। बाद की जमाबंदियो में 426 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाके खाते में रामरतनदास, देवीदास, झूमरलाल तथा फाउलाल के नाम हो गयी तथा 125 बीघा 4 बिस्वा भूमि जो कि वास्तविक मंदिर की भूमि थी वो कहां गई, इसका कोई साक्ष्य, सबुत व दस्तावेज मिसल पर उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट हुआ कि मंदिर की वास्तव में 125 बीघा 4 बिस्वा भूमि ही थी तथा शेष 426 बीघा 13 बिस्वा भूमि वास्तव में खातेदारों की थी। अतः प्रकरण सं. 124/94 में निर्णय दिनांक 09.03.1995 में वक्त निर्णय देवीदास, झूमरलाल तथा फाउलाल फोत हो जाने से समस्त भूमि रामरतनदास की मानते हुए जो 426 बीघा 13 बिस्वा भूमि रामरतनदास की थी तथा 125 बीघा 4 बिस्वा भूमि जो वास्तव में मंदिर की थी उसे सीलिंग प्रावधानों से मुक्त करते हुए श्री रामरतनदास 152 बीघा 10 बिस्वा भूमि धारण करने के अधिकारी मानते हुए शेष भूमि 274 बीघा 3 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने तथा तहसीलदार सोजत को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने व पालना करने का निर्णय पारित किया गया।

2. इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.03.1995 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील दायर की। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 03.07.1996 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.03.1995 को अपास्त कर प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देश दिये की प्रकरण में श्री भगवान नृसिंह जी महाराज को पक्षकार बनाकर सुनवाई का मौका देकर तथा पूर्व के रेकर्ड के अनुसार सम्पूर्ण भूमि का अवलोकन कर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

3. तदुपरान्त माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 03.07.1996 की पालना में प्रकरण न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी किया गया। तदुपरान्त श्रीमान जिला कलक्टर पाली के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2001/268 दिनांक 20.03.2001 के अनुसरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) का पद समाप्त कर दिये जाने से पत्रावली इस न्यायालय से स्थानान्तरित होकर अति. जिला कलक्टर पाली के न्यायालय में प्रकरण सं. 120/2001 दर्ज कर कार्यवाही अमल में लाई गई। तदुपरान्त श्रीमान् जिला कलक्टर पाली के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2006/264 दिनांक 27.03.2006 के अनुसरण में पत्रावली अति. जिला कलेक्टर पाली के न्यायालय से पुनः स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। इस न्यायालय में प्र.सं. 160/2006 दर्ज रजि. किया जाकर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई गई।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

4. गैर सायल महंत नरसिंहदास आम मुख्तियार मंहत सीतारामदास की ओर से श्री कृष्णदास संत ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा जो न्यायाहित में दिया गया। तत्पश्चात वकिल श्री कृष्णदास संत ने जाहिर किया कि गैर सायल काफी समय से सम्पर्क मे नही होने से गैर सायल को कानूनी नोटीस जारी करने का निवेदन किया। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा कई बार गैर सायल सीतारामदास को नोटिस जारी किये। तदुपरान्त श्री नरसिंह दास की ओर से वकील श्री नवीन दवे द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। न्यायालय द्वारा लम्बे समय से अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी गैरसायल व उनके अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया गया और न ही किसी प्रकार की बहस की गई। जिससे यह जाहिर होता है कि इस प्रकरण में गैरसायलान को रूची नहीं है तथा प्रकरण को निष्पारित नही कराने चाहते। अतः एक पक्षीय कार्यवाही की जाना उचित हैं।

5. अतः प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

6. राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 01.04.1996 की स्थिति अनुसार समस्त भूमि 426 बीघा 13 बिस्वा रामरतनदास की है। राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत सीलिंग कानून अनुसार 135 बीघा भूमि धारण करने का ही अधिकारी है अतः शेष 426.13–135= 291 बीघा 13 291 बीघा 13 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने का निवेदन किया है।

7. हमने राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 25.02.1958 की स्थिति अनुसार कुल भूमि 551 बीघा 17 बिस्वा थी। तत्पश्चात संवत 2012 से 2015 में खाता सं. 418 में कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 125 बीघा 4 बिस्वा जमीन में मंदिर श्री नृसिंह भगवान द्वारा पुजारी पिरागदास के नाम है तथा खाता सं. 419 में कुल खसरा 20 बीस जिसका कुल रकबा 426 बीघा 13 बिस्वा भूमि मंदिर बनाम मजरू रहीम झूमरलाल तथा फाउलाल मुर्तदीन बरस कटोदार सं. 1992 से 2015 तक 24 साल दर्ज थी। बाद की जमाबंदियों में 426 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाके खाते रामरतनदास, देवीदास, झूमरलाल तथा फाउलाल के नाम हो गई थी। शेष 125 बीघा 4 बिस्वा भूमि जो कि वास्तविक मंदिर की भूमि थी वो कहां गई, इसका कोई साक्ष्य, सबुत व दस्तावेज मिसल पर उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट होता है कि मंदिर की वास्तव में 125 बीघा 4 बिस्वा ही भूमि थी तथा शेष 426 बीघा 13 बिस्वा भूमि वास्वत में खातेदारों की थी जो देवीदास, झूमरलाल, तथा फाउलाल की मृत्यु के बाद समस्त भूमि रामरतनदास की है तथा यही स्थिति 01.04.1966 की थी।

8. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दिनांक 01.04.1966 की स्थिति अनुसार 426 बीघा 13 बिस्वा भूमि रामरतनदास की थी। चुंकि सीलिंग सीमा निर्धारण में 5 सदस्य तक एक

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यूनिट ही मानी जाति हैं। सीलिंग कानून अनुसार गैरसायल एक यूनिट तक 30 स्टेण्डर्ड एकड यानी 135 बीघा भूमि रखने का अधिकारी है। अतः शेष 426.13–135 = 291 बीघा 13 विस्वा भूमि अधिग्रहण योग्य होने से अधिग्रहण किये जाने का आदेश दिया जाता/तहसीलदार सोजत गैरसायल से 15 दिवस में विकल्प प्राप्त करे। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में तहसीलदार सर्वप्रथम भाररहित भूमि अधिग्रहण करे। अगर इस कानून के तहत पूर्व में कोई भूमि अधिग्रहित की गई हो तो राजस्व रेकर्ड से सत्यापन के पश्चात उसका समायोजन किया जावें। इसके पश्चात अधिग्रहण से भूमि शेष रहती हैं तो अन्तरित क्रम में क्रेताओं से भूमि अधिग्रहण की जावे। तहसीलदार सोजत भूमि अधिग्रहित कर एक माह में पालना रिपोर्ट न्यायालय को पेश करे।

9. आदेश की प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली तथा उपखण्ड अधिकारी, सोजत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावें।

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 29/09/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)